मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-7/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 18 जून, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय-सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया ।

संदर्भ-वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11-7/2016/नियम/चार, दिनांक 4-7-2016 एवं समयंख्यक ज्ञाप दिनांक 3-4-2018.

—••—

संदर्भित परिपत्रों द्वारा सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने/रिफण्ड करने संबंधी जारी निर्देशों में 01 सितम्बर, 2016 के पश्चात रूपये 10,000/- से अधिक की राशियों को भौतिक चालान से जमा करने की प्रक्रिया रखी जाकर दिनांक 30-4-2018 तक की अवधि के लिए समयवृद्धि की गई थी ।

2/ कतिपय विभागों में अधिकारियों के पास संगहित नकग राजस्व राशि को शासन के पक्ष में जमा कराया जाना शेष है । इसे दृष्टिगत रखते हुए इस अवधि में दिनांक 15-07-2018 तक की वृद्धि की जाती है । इसके उपरान्त समयवृद्धि नहीं की जाएगी । अतः रूपये 10000/- से अधिक की नकद राशि स्वीकार न की जाए एवं ऐसी राशियां इलेक्ट्रानिक माध्यम से ही सीधे शासन के पक्ष में जमा कराया जाए ।

3/ सभी संबंधित विभाग आवश्यक व्यवस्थाएं ऊपरवर्णित समय सीमा में कृपया आवश्यक रूप से विकसित करना सुनिश्चित करें ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रं. : एफ 11-7/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 18 जून, 2018

प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
5. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग